भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

****

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 754

(दिनांक 08.02.2018 को उत्तर के लिए)

आरटीआई के अंतर्गत मंत्रालयों द्वारा

किए गए कार्यों का प्रकाशन

754. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सूचना आयोग ने अप्रैल, 2016 में सरकार से प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा किए गए कार्य के ब्यौरे को सार्वजनिक करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी मंत्रालयों और विभागों को ऐसे मासिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है और कौन से मंत्रालय और विभाग इसका पालन कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार के पास इस दिशा में हुई प्रगति की जांच करने हेतु कोई निगरानी तंत्र विद्यमान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क): जी हाँ ।

(ख) से (ङ) : मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 23 जून 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-12015/56/2015-आरटीआई के माध्यम से भारत सरकार के सभी सचिवों को अपने मंत्रालय/विभाग से संबंधित मुख्य उपलब्धियों, उल्लेखनीय गतिविधियों और महत्वपूर्ण घटनाओं को मासिक आधार पर अपनी अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया था।

तथापि, उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन के लिए किसी प्रकार के आंकड़ें केंद्रीकृत रूप से नहीं किया जाते हैं।

*****